

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/44)

महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार।

रेस्पोंडेंट

- उपस्थित: 1.श्री रणजीत सिंह निर्वाण - अभिभाषक अपीलान्त
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 05.02.2024

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.04.2022 से तहसील भादरा के चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं. 333/295 के मुरबा नं. 26 किला नं. 20/0.050, 21/0.089, मु. नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.114 है. कुल 0.570 है. मु. नं. 36 के किला नं. 1/0.101 है. कुल रकबा 0.810 है. अर्थात् 2 एकड़ आराजीराज भूमि को प्रस्तावित पुलिस चौकी, छानीबड़ी हेतु निःशुल्क आवटन किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि चक 4 जेजीडब्ल्यू के मुरबा नं. 26 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मुरबा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20 तथा मुरबा नं. 36 के किला नं. 1 कुल 1.291 हैक्टेयर गैर मुमकिन शमशान भूमि चली आ रही है। जिसमे वर्षों से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर



अड़ौस पड़ौस के निवासीगण अपने परिवार व पूर्वजों का दाह संस्कार करते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्ट के पुत्र सनतसिंह का भी दाह संस्कार किया हुआ है तथा मौके पर उनकी समाधि भी बनी हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व बिना किसी नोटिस व विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर मुमकिन शमशान भूमि से अराजीराज दर्ज कर पुलिस चौकी छानी बड़ी हेतु निःशुल्क आवटन कर भारी भूल की है। मौके पर आज भी अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा अपने परिवार व रिश्तेदारों का दाह संस्कार किया जा रहा है, छोटे बच्चों की जिनकी मृत्यु होती है उनको वहा दफनाया जाता है। लांशों के उपर पुलिस चौकी बना रहे है। पुलिस चौकी के लिए अन्य भूमि बहुत पड़ी है वहा पुलिस चौकी बनाई जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा मनमाने ढंग से गैर मुमकिन शमशान भूमि को मुमकिन अराजीराज दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर बिना ग्राम पंचायत की सहमति के बिना व बिना निवासीगण जिनके पूर्वज व रिश्तेदारों का दाह संस्कार वहा किया जाता है की सहमति व सूचना के बगैर मनमाने ढंग से अराजीराज दर्ज कर पुलिस चौकी छानी बड़ी हेतु निःशुल्क आवटन कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 12.06.2022 को हुई, तथा जिसकी बाद नकल तैयारी


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुई। रेस्पोंडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन भूमि पर प्रार्थी के पुत्र की समाधी बनी हुई है व प्रार्थी व परिवार के अन्य सदस्यों का अन्तिम सस्कार हो रखा है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया था प्रार्थी के पीठ पीछे एक तरफा आदेश पारित किया गया था। अपीलान्त हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई जवाब/खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।
8. अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 जिसके द्वारा तहसील भादरा के चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं. 333/295 के मुरब्बा नं. 26 किला नं. 20/0.050, 21/0.089, मु. नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.114 है. कुल 0.570 है. मु. नं. 36 के किला नं. 1/0.101 है. कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर आराजीराज भूमि को पुलिस चौकी, छानीबड़ी हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जरिए प्रस्ताव संख्या 35 दिनांक 20.07.2021 से चक 4 JGW में शमशान के नाम दर्ज भूमि में से प्रयोग में नहीं आई भूमि पुलिस चौकी को आवंटित करने हेतु सहमति प्रदान की गई। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी छानीबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 अनुसार ग्राम पंचायत छानीबड़ी की जो भूमि शमशान प्रयोजनार्थ काम आ रही है वह चक 5 CHN में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, चक 4 JGW की 1.291 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में दाह संस्कार नहीं होना रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है। चक 4 JGW के मु. नं. 26, 35 व 36 की कुल 1.291 हेक्टेयर गै. मु. शमशान दर्ज भूमि में से 0.810 हेक्टेयर भूमि को ही जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पुलिस चौकी छानीबड़ी हेतु आवंटित किया गया जो कि राजकीय विभाग के उपयोग हेतु आवंटित है व



जनोपयोगी है। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.10.2023 अनुसार खाता सं. 342 के किला नं. 1 की 0.114 है0 व किला नं. 10 की 0.114 है0 भूमि मौके पर खाली नहीं है, व बाकी रकबा खाली है तथा खाता सं. 333 भी खाली है। तहसीलदार की उक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के मध्यनजर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए खाता सं. 342 मु. नं. 35 के किला नं. 1 व 10 में पुलिस चौकी हेतु किया गया आवंटन प्रत्येक 0.114 व 0.114 हैक्टेयर कुल 0.228 हैक्टेयर को खारिज किया जाता है तथा शेष आवंटन 0.582 हेक्टेयर को जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश अनुसार यथावत रखा जाता है। तदनुसार विधिवत रिकार्ड में इन्द्राजात किया जावे। इसी अनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।